[श्री जगजीवन राम]

अन्तर समझना चाहिए कि वह जो हमारे जहाज ये प्रोटो टाइप थे और यह हवाई जहाज प्रोटो टाइप नहीं था। यह हमारे स्क्वाडरन का जहाज था और 1968 से हमारे स्क्वाडरन में था। आम तौर से 200 घन्टे चलने के बाद जो जांच होनी चाहिए उसके लिए वहां पर भेजा गया था। 196 घन्टा यह चल चुका था और इसलिये कोई प्रारम्भिक काल से ही इसमें नुक्स था यह बात प्रत्यक्षत: नहीं है।

साथ ही यह कहना कि कुछ लोग सैबोटाज कर रहे हैं, ऐसा है कि हमको उस पर संदेह नहीं है। लेकिन ये सारी बातें इन्क्वायरी कमीशन की जांच के बाद ही मालूम पड़ेगी।

श्री कमल मिश्र मधुकर : मृत व्यक्ति के परिवार के लिए आप क्या करने जा रहे हैं?

श्री जगजीवन राम : उनको फैमली पेंशन मिलेगी और उनकी विधवा को एक लाख 25 हजार रु० एक मुश्त मिलेगा।

MR. SPEAKER : Shri Rao Birender Singh.

SHRI BIRENDER SINGH RAO (Mahendragarh) : No question, Sir.

MR. SPEAKER : Thank you.

12.12 hrs.

RE : CALLING ATTENTION

(Query)

श्री विजयपाल सिंह (मुजफ्फरनगर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आपको भेजा था। मेरे क्षेत्र में पूरा का पूरा हरिजनों का गांव जला दिया गया। सैकड़ों आदमी अस्पताल में जख्मी पड़े हुए हैं। औरतें मेरे घर पर पड़ी हुई हैं, उनको मैं कहां लेकर जाऊं। यह रोजाना की घटना घट रही है, मैं क्या करूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास नहीं आया।

श्री विजय पाल सिंह : पूरा का पूरा गांव जला दिया गया। उस बारे में मन्त्री जी से कम से कम एक बयान दिलवा दीजिये। (व्यवधान) औरतें मेरे मकान पर पड़ी हुई हैं। आप बयान दिलवा दीजिये। क्या होगा, मेरी समझ में नहीं आता। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा आपको कि अभी मेरे पास नहीं आया।

श्री बी० पी० मौर्य (हापुड़) : पूरे गांव को नष्ट कर दिया और चमारों की लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया।

अध्यक्ष महोदय : ये बातें काल अटेंशन के लिये एबरप्टली नहीं उठानी चाहियें।

श्री बी० पी० मौर्य : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो आप का ध्यान जरा-जरा सी बातों पर चला जाता है। संविधान यह व्यवस्था देता है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स, अतिसर्वहारा समाज के लोगों की केन्द्र विशेष तौर से रक्षा करेगा। वहां पर जाटों ने जो बी० के० डी० के नेता हैं, उन्होंने कत्ले आम किया है और उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया। सम्मानित सदस्य ने आपको इस बारे में लिखा। क्या आपने इस पर ध्यान दिया।

MR. SPEAKER : When it comes to me, I will look into it.

श्री बी० पी० मौर्य : अब तक वह कागज आपके पास पहुंचा क्यों नहीं, इसकी आपको छानबीन करनी चाहिये।